न्यायालय–सिविल जज, (सी0डि0), देहरादून

मूलवाद संख्या–222/2025

श्री संजय गर्ग व अन्य बनाम श्री कीर्ति अग्रवाल व अन्य

दिनांकः 20.01.2026

वाद पुकारा गया। पत्रावली पेश हुई। वादीगण मय विद्वान अधिवक्ता श्री विकास कश्यप व प्रतिवादीगण मय विद्वान अधिवक्ता श्री एम0 के0 जुयाल उपस्थित। उभय पक्षकारों द्वारा समझौतानामा कागज संख्या 14क1/1 लगायत 14क1/5 दाखिल किया गया। पत्रावली पर रखा जाये।

2. पक्षकारों की ओर से समझौतानामा कागज संख्या 14क1/1 लगायत 14क1/5 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उनका आपस में समझौता हो गया है। अतः समझौतानामा कागज संख्या 14क1/1 लगायत 14क1/5 के अनुसार वाद निस्तारित करने की प्रार्थना की गयी है।

3. सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

4. पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि वादीगण द्वारा वर्तमान वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र की सूचियों में वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति के विभाजन हेतु संस्थित किया गया है, जिसमें पक्षकारों द्वारा समझौतानामा कागज संख्या 14क1/1 लगायत 14क1/5 के अनुसार पक्षकारों के मध्य आपस में समझौता हो गया है। उक्त समझौतानामा पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित व उनके विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है तथा न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया है। अतः उक्त समझौतानामा कागज संख्या 14क1/1 लगायत 14क1/5 के आधार पर निस्तारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार आदेश पारित किया जाता है–

आदेश

प्रस्तुत वाद पक्षकारों की ओर से दाखिल समझौतानामा कागज संख्या 14क1/1 लगायत 14क1/5 के आधार पर निस्तारित किया जाता है। समझौतानामा कागज संख्या 14क1/1 लगायत 14क1/5 निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा।

बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 20.01.2026

(सैय्यद गुफरान)
सिविल जज(सी0डी0)
देहरादून।